पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर
(जी सी एम एस नम्बर 2022/12)
मुकदमा नम्बर :– 04/2022

उनवानी प्रकरण :–

कालीचरन उम्र करीव 53 वर्ष पुत्र काशीराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला कस्वा मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर ——————अपीलान्ट

बनाम्

1–हरीनिवास पुत्र रम्भू जाति कोली निवासी केयरऑफ धर्मवीर सिंह जाट पुत्र श्री टोडरमल सेक्रेटरी मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर
2–तहसीलदार मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर ——रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व संपरिवर्तन आदेश कमांक 181 दिनांक 28.09.2020 तहसीलदार मंनिया

न्यायालय जिला कलक्टर

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से :– श्री इन्द्रपालसिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 13.02.2025

अपीलान्ट ने यह अपील इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि मूल खसरा नम्बर 857 रकवा 01 वीधा 13 विस्वा वाके मंनिया जिला धौलपुर में अपीलान्ट 8/33 भाग का, मैमो 16/33 भाग का तथा रेस्पो0सं01 27/33 भाग एवं दिलीप 2/33 भाग का सहखातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी है। उपरोक्त आराजी का कोई बंटवारा विधिवत अपीलान्ट की जानकारी में कभी नहीं हुआ लेकिन रेस्पो0संख्या–2 ने उपरोक्त आराजी के खाते राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक कर दिये है जबकि उपरोक्त आराजी के बावत दावा बंटवारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में उनवानी कालीचरन बनाम मैमो विचाराधीन है। रेस्पो0संख्या–2 ने अपीलान्ट की बिना जानकारी पीठ पीछे उपरोक्त आराजी के नक्शा में भी तरमीम गलत तरीके से करा दी है। रेस्पो0संख्या–2 ने रेस्पो0संख्या–1 से मिलकर आक्षेपित आदेश के माध्यम से कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि आधीन न्यायालय रेस्पो0संख्या–2 ने संपरिवर्तन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट सहखातेदार को नोटिस नहीं देकर प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो का उल्लघंन किया है। राजस्व नक्शा में अपीलान्ट के पीठ पीछे बंटवारा कहते हुए रेस्पो0 संख्या–2 ने

जिला कलक्टर
धौलपुर

जो तरमीम की है वह गलत है। नक्शा तरमीम से अपीलान्ट का रकवा कम कर दिया है जबकि अपीलान्ट अपने सम्पूर्ण रकवा 08 विस्वा पर काबिज काश्त है जबकि नक्शा तरमीम के मुताविक रेस्पो0संख्या–1 का रकवा 07 विस्वा की जगह पर 07 विस्वा से अधिक का संपरिवर्तन आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित आदेश के साथ संलग्न नक्शा पटवारी हल्का के नक्शे के विरूद्व है क्योकि रेस्पो0संख्या–2 ने अभिलेख का सही निरीक्षण नहीं किया है। आराजी खसरा नम्बर 857 में से ही एक अन्य पार्ट भूमि संपरिवर्तन मैमो के नाम से रेस्पो0संख्या–2 ने किया है जिसमें रास्ता दक्षिण दिशा में दिखाया हुआ है जबकि दोनो की संपरिवर्तन एक ही समय में जारी किये गये है। आक्षेपित आदेश की प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 31.12.2021 को रेस्पो0 एवं मैमो एवं उनके ऐजेन्ट होरीलाल लोधा द्वारा यह धमकी देने पर कि उसने वाला–वाला अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बंटवारा एवं नक्शा तरमीम अपीलान्ट का हिस्सा कम करते हुए एवं भूमि रूपान्तरण पटटा प्राप्त कर लिया है अब अपीलान्ट को उसके हिस्से से भी बेदखल करेगें। तब अपीलान्ट ने आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त की तब असलियत का पता चला इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं हुई थी। जानकारी से अपील अपीलान्ट अवधिमध्य प्रस्तुत है। प्रथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। उपरोक्त आराजी में अपीलान्ट सहखातेदार है तथा अपीलान्ट की तरमीम रकवा कम करते हुऐ आक्षेपित आदेश प्राप्त किया है। इसलिये अपीलान्ट का सीधा हित प्रभावित हो रहा है इसलिये अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल प्रमाणित प्रति भूमि रूपान्तरण पटटा आदेश क्रमांक 181 दिनांक 28.09.2020, फोटोप्रति नक्शा ट्रेस ख0न0 857 ग्राम मंनिया, फोटो प्रति जमाबन्दी ख0नं0 2416/857 ग्राम मंनिया, फोटोप्रति वादपत्र दावा कालीचरन बनाम मैमो न्याया0 एसीएम धौलपुर पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री इन्द्रपालसिंह जादौन एडवोकेट एवं रेस्पो संख्या–2 पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलव किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलान्ट आक्षेपित आदेश से व्यथित पक्षकार है तथा पीडित एवं एग्रीब्ड पर्सन है। न्यायहित में आक्षेपित आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपने कथनों के समर्थन में फोटोप्रति एफ.आई. आर.न0462/17, फोटोप्रति ऑडरशीट दिनांक 11.5.2017, राजीनामा आवेदन पत्र कालीचरन बनाम हरिनिवास, फोटोप्रति वादपत्र कालीचरन बनाम हरिनिवास, फोटोप्रति आदेश दिनांक 18.4.2022 कालीचरन बनाम मैमो, फोटोप्रति वादपत्र कालीचरन बनाम मैमो, फोटोप्रति प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 दिनांक 7.12.2020, फोटोप्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी, फोटोप्रति कुर्रेजात, नक्शा अक्श पेश किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट उपरोक्त आराजी में सहखातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी है। उपरोक्त आराजी का कोई बंटवारा विधिवत अपीलान्ट की जानकारी में कभी नहीं हुआ लेकिन रेस्पो0संख्या–2 ने उपरोक्त आराजी के खाते राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक कर दिये है जबकि उपरोक्त आराजी के बावत दावा बंटवारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में उनवानी कालीचरन बनाम मैमो विचाराधीन है। अपीलान्ट की बिना जानकारी के उपरोक्त आराजी के नक्शा में भी तरमीम गलत तरीके से करा दी है। तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश पारित किया है। जो तरमीम की है वह गलत है। नक्शा तरमीम से अपीलान्ट का रकवा कम कर दिया है जबकि अपीलान्ट अपने सम्पूर्ण रकवा 08 विस्वा पर काबिज काश्त है जबकि नक्शा तरमीम के मुताविक रेस्पो0संख्या–1 का रकवा 07 विस्वा की जगह पर 07 विस्वा से अधिक का संपरिवर्तन आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 857 में से ही एक अन्य पार्ट भूमि संपरिवर्तन मैमो के नाम से रेस्पो0संख्या–2 ने किया है जिसमें रास्ता दक्षिण दिशा में दिखाया हुआ है जबकि दोनो की संपरिवर्तन एक ही समय में जारी किये गये है। आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित संपरिर्तन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के यहॉ प्रकरण संख्या 22/2016 उनवानी कालीचरन बनाम हरिनिवास प्रस्तुत किया जो राजस्व कैम्प लोक अदालत कैम्प मनिंया में राजीनामा के आधार पर फैसल हुआ। राजीनामा के आधार पर फैसल कर विवादित आराजी के नम्बर अलग अलग कायम हुए। नक्शे कुर्रेजात पर अपीलान्ट कालीचरन के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट द्वारा बटवारा कराने के उपरान्त उसने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर एक वाद पुनः विवादित आराजी का कालीचरन बनाम मैमो के नाम से दायर किया गया जो दिनांक 17.04.2022 को समान पक्षकार, समान आराजी व समान अनुतोष होने के कारण एवं पूर्ववर्ती दावे में राजीनामा व सहमति के आधार अपीलान्ट ने अपना दावा विड्रो किया। अपलान्ट का दावा खारिज फरमा दिया गया। उपरोक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट सहखातेदार काशकार नहीं है। बहस के दौरान यह भी कथन किया कि संपरिवर्तन आदेश के साथ संलग्न नक्शा में उत्तर दक्षिण दिशा का सहवन से गलत अंकन हो गया है जिसे शुद्व कराने के लिये तहसीलदार मंनिया के समक्ष प्रथक से कार्यवाही की जा रही है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का राजस्व रिकार्ड में जितना हिस्सा है उतने ही हिस्से पर काबिज है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से में मकान बना लिया है। संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
धौलपुर

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी का कोई बंटवारा विधिवत अपीलान्ट की जानकारी में कभी नहीं हुआ लेकिन रेस्पो0संख्या–2 तहसीलदार ने विवादित आराजी के खाते राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक कर दिये है जबकि उपरोक्त आराजी के बावत दावा बंटवारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में उनवानी कालीचरन बनाम मैमो विचाराधीन है। इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध नकल कुर्रेजात प्रस्ताव के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के यहॉ प्रकरण संख्या 22/2016 उनवानी कालीचरन बनाम हरिनिवास प्रस्तुत किया जो राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर मंनिया में राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 857 रकवा 01 वीधा 13 विस्वा का बटवारा वाई मीटस एण्ड बाउन्ड मौके पर काबिज अनुसार बटवारा किया जाकर फैसल हुआ हुआ है। प्रकरण में जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है उस पर अपीलान्ट कालीचरन एवं अन्य पक्षकारों के हस्ताक्षर हो रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2073–76 ग्राम मंनिया का अवलोकन किया गया जिसमें लाल स्याही से नामान्तकरण संख्या 3509 दिनांक 15.07.2017 सहमति से विभाजन का अंकन हो रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाजन के बाद विवादित आराजी के नम्बर अलग अलग पक्षकारों के नाम कायम हुए है तथा विभाजन अनुसार नक्शे में तरमीम हुई है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि विवादित आराजी का कोई बंटवारा विधिवत अपीलान्ट की जानकारी के बिना हुआ है। पक्षकारों के मध्य हिस्से अनुसार विवादित आराजी का बटवारा एवं नम्बर अलग अलग होने के बाद तहसीलदार धौलपुर ने जो भूमि संपरिवर्तन आदेश पारित किया है वह विधिवत जारी किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रृटि नहीं पाते है। रेस्पोडेन्ट का बहस में यह कथन है कि भूमि संपरिवर्तन आदेश के साथ संलग्न नक्शा में उत्तर दक्षिण दिशा का सहवन से गलत अंकन हो गया है जिसे शुद्व कराने के लिये तहसीलदार मंनिया के समक्ष प्रथक से कार्यवाही की जा रही है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का राजस्व रिकार्ड में जितना हिस्सा है उतने ही हिस्से पर काबिज है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से में मकान बना लिया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर